

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016-वैशाख 23, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेठा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2016

कार्यालय आदेश

क्र. 395/स्था/मुप्रनिबो/2016.—राज्य बोर्ड की 140वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2016 में बिन्दु क्रमांक 2.6 पर लिये गये निर्णय अनुसार
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशालाओं द्वारा जल स्रोतों की बायो मॉनीटरिंग हेतु रुपये 22000/- प्रति नमूने की दरें निर्धारित की जाती हैं।

(70-बी.)

ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि पूर्व में मेरा नाम आशा काले पति स्व. महेशचंद्र दुबे सैन्य रिकार्डों में दर्ज हो गया है। विवाह पश्चात् मेरा नाम आशा दुबे पति स्व. महेशचंद्र दुबे हो गया व मेरी जन्म तिथि 07-07-1952 है। अतः भविष्य में मुझे इसी नये नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(आशा काले)

(आशा दुबे)

(62-बी.)

पति-स्व. महेशचंद्र दुबे,
निवासी-1428, डी-सेक्टर, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम जतिन नागदेव था। अब मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर नवजोत सिंह नागदेव रख लिया है।

अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नवजोत सिंह नागदेव के नाम से जाना व पहचाना जावे।

(63-बी.)

रमेश सिंह नागदेव,
सखी बिहार कॉलोनी,
सिकन्दर कम्पू लश्कर, ग्वालियर।

CHANGE OF NAME

I, Ku. RAGESHWARI CHOUDHARY, aged 18 years D/o Shri Raghvendra Singh Choudhary, aged 55 years, resident at H. No. 605/1, Amanpur Madan Mahal, Jabalpur M.P. A student of Class XII (Recently appeared) Sec. A (Science) Little World H.S. School, Tilwara Road, Jabalpur in the School records my name is written Ku. RAGESHWARI CHOUDHARY whereas it should be correctly recorded as Ku. RAGESHWARI SINGH CHOUDHARY.

Old Name :

(Ku. RAGESHWARI CHOUDHARY)

(64-B.)

New Name :

(Ku. RAGESHWARI SINGH CHOUDHARY)

R/o H. No. 605/1, Amanpur Madan Mahal
Jabalpur (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम देवेश नागदेव था। अब मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर बलजोत सिंह नागदेव रख लिया है।

अतः भविष्य में मेरे पुत्र को बलजोत सिंह नागदेव के नाम से जाना व पहचाना जावे।

(65-बी.)

रमेश सिंह नागदेव,
सखी बिहार कॉलोनी,
सिकन्दर कम्पू लश्कर, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

It is requested that in 10th class marksheet of my son bobby budhwani my name (Mahesh Kumar budhwani) is printed wrong. For its correction C.B.S.E. BOARD has demanded a Gazette in which correct name has to be declared so here we have the detail (which can be verified by Adhar card, Voter card and marksheets of previous year).

Wrong Printed in 10th class Marksheets

Old Name :

(MUKESH BUDHWANI)

(66-B.)

New Name :

(MAHESH BUDHWANI)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुशी सिंह पत्नी श्री सुशील सिंह, 10/7, संजय कॉम्प्लेक्स, फेस-2, भोपाल विवाह पश्चात् मेरा नाम कु. निशा तिवारी की जगह कुशी सिंह हो गया है एवं मेरे सारे शैक्षणिक व पहचान दस्तावेजों पर श्रीमती कुशी सिंह नाम दर्ज किया गया है, भविष्य में मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

(कु. निशा तिवारी)

(67-बी.)

नया नाम :

(कुशी सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में सर्वजीत सिंह बूरा पुत्र श्री इन्द्र सिंह था तथा मेरा नाम सरनेम परिवर्तन कर सर्वजीत सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह हो गया है और आगे निकट भविष्य में सर्वजीत सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा।

अतः सर्व-साधारण सूचित हो।

पुराना नाम :

(सर्वजीत सिंह बूरा)

(73-बी.)

नया नाम :

(सर्वजीत सिंह)

पुत्र-श्री इन्द्र सिंह,

निवासी-501, मधुवन अपार्टमेन्ट, 31, श्रीराम कॉलोनी,
झौसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, have changed my name from PRASANT KUMAR CHAURASIYA to PRASHANT CHOURASIYA for all future purpose. Prashant chourasiya S/o Mathalee Sharan Chourasiya, 1003 Mohandra, Tehsil-pawai, Disst-Panna (M.P.).

Old Name :

(PRASANT KUMAR CHAURASIYA)
(68-B.)

New Name :

(PRASHANT CHOURASIYA)

नाम परिवर्तन

मैं, चंचल सलूजा उर्फ लीना ढींगरा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह घोषित करती हूँ कि मेरा नाम लीना ढींगरा है तथा मेरा विवाह संजय ढींगरा, निवासी-चर्चाई, तहसील व जिला अनूपपुर से हुआ है. विवाह पूर्व मेरा नाम चंचल सलूजा पिता किशन लाल सलूजा, माता कांता सलूजा था. इसलिये विवाह के पहले मेरे समस्त दस्तावेजों में चंचल सलूजा पिता किशन लाल सलूजा दर्ज है. मेरी शादी संजय ढींगरा पिता जगदीश चंद्र ढींगरा, निवासी जबलपुर से 25-11-1993 को मेरे मायका गुना में सम्पन्न हुआ था. मेरे ससुराल पक्ष वाले मुझे स्त्रेह वश मेरे घर का नाम लीना कहने लगे जहां मेरा नाम परिवर्तन होकर लीना ढींगरा के नाम से जानने लगे. शपथ-पत्र द्वारा मैं यह घोषित करती हूँ कि मुझे चंचल सलूजा विवाह पश्चात लीना ढींगरा के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(चंचल सलूजा)

(69-बी.)

नया नाम :

(लीना ढींगरा)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि जन्म से मेरा नाम मुकेश कुमार नेमा था एवं मेरी समस्त शैक्षणिक अंक सूचियां/डिग्री में मेरा नाम मुकेश कुमार नेमा ही अंकित है. किन्तु शासकीय सेवा में आगे के पश्चात् मेरे द्वारा नाम बदलकर मुकेश नेमा नाम का प्रयोग किया जा रहा है.

पुराना नाम :

(मुकेश कुमार नेमा)

(72-बी.)

नया नाम :

(मुकेश नेमा)

उपायुक्त आबकारी,

संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में तेजनवीर सिंह बूरा पुत्र श्री सर्वजीत सिंह बूरा था जोकि शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम अंकित है तथा मेरा नाम सरनेम परिवर्तन कर तेजनवीर सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह बूरा हो गया है और आगे निकट भविष्य में तेजनवीर सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह बूरा के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा.

अतः सर्व-साधारण सूचित हो.

पुराना नाम :

(तेजनवीर सिंह बूरा)

पुत्र-श्री सर्वजीत सिंह बूरा.

(74-बी.)

नया नाम :

(तेजनवीर सिंह)

पुत्र-श्री सर्वजीत सिंह बूरा,

निवासी-501, मधुबन अपार्टमेन्ट, 31, श्रीराम कॉलोनी,

झॉसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. बसेडिया कंस्ट्रक्शन, साईंखेड़ा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर मध्यप्रदेश से पार्टनर श्री लालजी प्रसाद बसेडिया की दिनांक 11-09-2011 को मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् किया जाता है. शेष पार्टनर फर्म में यथावत बने रहेंगे.

मेसर्स बसेडिया कंस्ट्रक्शन,

देवेन्द्र बसेडिया,

(पार्टनर)

साईंखेड़ा, तहसील-गाडरवारा,

जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.).

(71-बी.)

विविध

अन्य सूचनाएं

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर, संभाग इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 06 मई, 2016

अधिसूचना

क्र./411/बस स्टैण्ड/2016.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम-1994 के नियम-204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सोनी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर, संभाग इन्दौर से डबलचौकी, खातेगाँव, चापड़ा, कन्नौद, नेमावर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल इत्यादि शहरों की ओर आने-जाने वाली प्रक्रम वाहनों में यात्रियों को बैठाने एवं उतारने के लिये जन सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से तीन ईमली चौराहा स्थित शासकीय भूमि पर स्थित बस स्टैण्ड को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-117 के अन्तर्गत “तीन ईमली बस स्टैण्ड” अधिसूचित घोषित करता हूँ।

संजय सोनी,

(342)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं उपायुक्त सहकारिता, बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/333.—लक्ष्मी ईंट एवं भवन सामग्री निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1416, दिनांक 30 मार्च, 2000 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/126, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए उक्त लक्ष्मी ईंट एवं भवन सामग्री निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती पूनमसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-B)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/334.—ताप्ती साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1712, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/129, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त तापी साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. राठौर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, आठनेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-C)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/335.—महादेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फोफल्या, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1710, दिनांक 21 मार्च, 2013 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/130, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त महादेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फोफल्या, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बंसत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-D)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/336.—सर्वब्राह्मण समाज साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1803, दिनांक 25 मार्च, 2015 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/124, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त सर्वब्राह्मण समाज साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती पूनमसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-E)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/337.—बैतूल कपड़ा एवं जनरल सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1796, दिनांक 25 मार्च, 2015 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/252, दिनांक 05 मार्च, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 21 मार्च, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भौपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त बैतूल कपड़ा एवं जनरल सहकारी संस्था मर्या., बैतूल, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैतूल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-F)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/338.—गुरुकृपा झाडू चटाई बांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मूढ़ा, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 24 फरवरी, 2007 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/131, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भौपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त गुरुकृपा झाडू चटाई बांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मूढ़ा, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बसंत मगरदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-G)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/339.—गंगोत्री रुई धुनकर सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 16 मार्च, 2000 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त गंगोत्री रूई धुनकर सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती पूनमसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुलताई को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-H)

बैतूल, दिनांक 31 मार्च, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/340.—सरस्वती विद्या मंदिर उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बैतूल, जिला बैतूल जिसका पंजीयन क्रमांक 1794, दिनांक 25 मार्च, 2015 है, को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/125, दिनांक 05 फरवरी, 2016 के द्वारा दर्शाये गये कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे इस हेतु उत्तर प्रस्तुत करने बाबत् लेख किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिए 15 दिन की समयावधि दी गई थी तथा उक्त सम्बन्ध में आपत्ति बाबत् व्यक्तिगत् सुनवाई हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2016 नियत की गई थी, इस समयावधि में संस्था द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई दिनांक को कोई उपस्थित हुआ तदनुसार मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए उक्त सरस्वती विद्या मंदिर उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बैतूल, जिला बैतूल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुये आदेशित करता हूँ कि परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(318-I)

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 11 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./व्यू./1.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति, काराघाटकामठी	715/20-11-1990
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति, कोडिया	720/21-12-2009
3.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति, पाठई	721/21-12-2009

1	2	3
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सोनपठार	753/15-02-2011
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नरसला	789/28-04-2012
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति करवारहटी	790/28-04-2012
7.	जय किसान बीज उत्पा. सह. समिति पाण्डुण्ठा	839/10-01-2014
8.	प्रभात बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोरडोगरी	886/10-01-2014
9.	जय वीर किसान फल-फूल, साग सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., सिराठा	939/10-01-2014
10.	उन्नति किसान फल-फूल, साग सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., रझाडीखापा	940/10-01-2014
11.	जय श्री राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अंबाडाखुर्द	945/10-01-2014
12.	धनश्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भूली	953/10-01-2014
13.	श्री दादाजी धूनीवाले बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., देवखापा (भंदारगोदी)	954/10-01-2014
14.	धनसदगुरु बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	963/10-01-2014
15.	श्री उज्ज्वल बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., आजनगाँव	964/10-01-2014
16.	कृषक प्रगति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., चिचखेडा	965/10-01-2014
17.	रानी दुर्गाविता बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., भैसाडोंगरी	971/10-01-2014
18.	मातृभूमि बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., रझाडीखापा	972/10-01-2014
19.	केशव बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., गोरलीखापा	973/10-01-2014
20.	श्री पंढरीनाथ बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., बाडेगाँव	974/10-01-2014
21.	जय हरिओम बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पैलेपार (मारूढ़)	974/10-01-2014
22.	यशोधन बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मारूढ़	976/10-01-2014
23.	वनांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोरपानी	996/10-01-2014
24.	विकल्प फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिगांव	1000/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री एस. के. वर्मा, सहायक प्रबंधक वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या., पाण्डुण्ठा को कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक 26 अप्रैल, 2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(319)

पी. के. लाल,
परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 13 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू./1.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित

सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोघरी	495/29-03-1995
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकावाडा	724/21-05-2010
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबई	793/28-04-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाराजगुरु	794/28-04-2012
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगोडी	251/01-10-1984
6.	कल्याणी महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथ. सह. समिति मर्या., सुरलाखापा	844/10-01-2014
7.	भामा शाह अनाज क्रय-विक्रय प्राथ. सह. समिति मर्या., सेजा	845/10-01-2014
8.	रानी अवंतीबाई महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथ. सह. समिति मर्या., सुखारीकलां	846/10-01-2014
9.	गुरुदेव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., दीधावानी	936/10-01-2014
10.	माँ खेडापति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., केकडा	937/10-01-2014
11.	सांई फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाराजगुरु	1002/10-01-2014
12.	जागृति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामीहीरा	1003/10-01-2014
13.	जय माँ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिरी	947/10-01-2014
14.	जय गंगा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिरी	960/10-01-2014
15.	बालाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पेटदेवरी	991/10-01-2014
16.	सांई समर्थ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोपाखेडा	992/10-01-2014
17.	राधाकृष्ण फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुइ	994/10-01-2014
18.	जय बलराम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सह. समिति मर्या., सारसडोल	1005/10-01-2014
19.	जय श्री राम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सह. समिति मर्या., हिरी	1010/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र जारी दिनांक 13 अप्रैल, 2016 से दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री मोहन पाण्डे, प्रबंधक विषयन सहकारी समिति मर्या., अमरवाडा को कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक 28 अप्रैल, 2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. एन. डेहरिया,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

(320)

कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 11 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी

संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	संस्कृति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सांवरी	925/10-01-2014
2.	न्यू पवार बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., टेमनीकला	928/10-01-2014
3.	निर्मल बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., गोरेघाट	929/10-01-2014
4.	आशा आकांक्षा बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पालाखेड	930/10-01-2014
5.	कीर्ति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., खूनाझिरखुर्द	931/10-01-2014
6.	खेडापति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., जाखावाडी	932/10-01-2014
7.	जय भावानी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सांवरी बाजार	933/10-01-2014
8.	आस्था बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., बीसापुरकला	938/10-01-2014
9.	पवार आदर्श बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., लहगडुआ	898/10-01-2014
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सारोठ	310/25-09-1991
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सरोरा	312/25-09-1991
12.	चारगाँव बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., चारगाँव	745/12-11-2010
13.	सत्यसाई बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., खैरवाडा	911/10-01-2014
14.	मोरढाना बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., रजाडा	912/10-01-2014
15.	जय प्रगति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., लेदागोंदी	913/10-01-2014
16.	बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., खेडी	914/10-01-2014
17.	भुमका बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., बदनूर	915/10-01-2014
18.	खुशी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., हतलेवा डोला	916/10-01-2014
19.	गायत्री कृषक बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सारंगबिहरी	921/10-01-2014
20.	सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., भुताई	922/10-01-2014
21.	जय भोले बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., करलाकला	923/10-01-2014
22.	नगझिर फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सह. समिति मर्या., रजाडा	941/10-01-2014
23.	जय दुर्गे बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., हतलेवा	946/10-01-2014
24.	बलराम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सह. समिति मर्या., कामठी	955/10-01-2014
25.	शक्तिढाना बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., शक्तिढाना	986/10-01-2014
26.	दि मोहखेड विपणन सहकारी समिति, उमरानाला	18/10-11-1966

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री बंशीलाल डोले, सहायक समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या., मोहखेड को कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक 26 अप्रैल, 2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

कार्यालय परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 11 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	संदेश प्रा. उपभोक्ता भण्डार मर्या., छिन्दवाड़ा	515/16-06-1995
2.	स्टेट बैंक कर्म. गृह निर्माण सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा (नंबर 2)	26/21-04-1976
3.	जय बलराम बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मोआदेई	858/10-01-2014
4.	हलधर बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पखडिया	860/10-01-2014
5.	हरिओम बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., भैसादंड	862/10-01-2014
6.	ओम शक्ति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., शहपुरा	870/10-01-2014
7.	शिवशक्ति बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., भाजीपानीकला	872/10-01-2014
8.	बलदाउ बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., खेरीभोपाल	876/10-01-2014
9.	दादाजी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., खजरी	881/10-01-2014
10.	मारुती बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., चंहियाकला	882/10-01-2014
11.	समर्थ बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सुसरई	883/10-01-2014
12.	सतपुडा बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., गंगाई	884/10-01-2014
13.	क्रांती फल-फूल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी समिति मर्या., थुनियाउदना	888/10-01-2014
14.	ओम साई बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., रोहनाकला	893/10-01-2014
15.	भोला बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., भानादेही	895/10-01-2014
16.	जय तिरुपति बालाजी बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सर्वा	896/10-01-2014
17.	रुचि बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सुनारी मोहगाँव	897/10-01-2014
18.	जय श्री कृष्णा बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., मेधासिवनी	901/10-01-2014
19.	जय लटोरिया बाबा बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पिंडरईकला	902/10-01-2014
20.	बजरंग बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सांवली	903/10-01-2014
21.	आंनद बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., पिंडरईकला	919/10-01-2014
22.	जय शारदा माँ बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सिहोरामडका	927/10-01-2014
23.	जय माँ काली फल-फूल, साग-सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., मोआदेही	934/10-01-2014
24.	हरि कृष्ण बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., धगडिया	942/10-01-2014
25.	नव आदर्श बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सांख	1013/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री गनपत राऊत, प्रभारी लेखापाल, जिला सहकारी संघ मर्या., छिन्दवाड़ा (बीएसएनएल आफिस के सामने) को कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक 26 अप्रैल, 2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(321-A)

एम. एल. चौकसे,
परिसमापक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/460.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2294/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा महावीर राम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पत्तुलखी पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए महावीर राम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पत्तुलखी का पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/461.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2292/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा ब्लास्टर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां पंजीयन क्रमांक 61/1167, दिनांक 20 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए ब्लास्टर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां का पंजीयन क्रमांक 61/1167, दिनांक 20 मई, 2010/28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-A)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/462.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2293/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा गौर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछरहटा पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेचित हैं, का प्रयोग करते हुए गौर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछरहटा का पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-B)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/463.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2145/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा बिभावरी बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिलौहीकला पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेचित हैं, का प्रयोग करते हुए बिभावरी बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिलौहीकला का पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-C)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/464.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2286/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा कृष्णा बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जड़कुल पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेचित हैं, का प्रयोग करते हुए कृष्णा बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जड़कुल का पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-D)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/465.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2300/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा रामेश्वर राम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पहरखा पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के

अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए रामेश्वर राम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पहरखा का पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-E)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/466.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2290/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा नन्द बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए नन्द बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा का पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-F)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/467.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/231/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा साग-सब्जी उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बदैया पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए साग-सब्जी उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बदैया का पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-G)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/468.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2282/2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2014 द्वारा रामाचार्य बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जौरोट पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए रामाचार्य बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जौरोट पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-H)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/469.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2298/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा रामधीन बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., ईटहाकला पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए रामधीन बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., ईटहाकला पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-I)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/470.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2288/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा अन्नपूर्णा बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हनुमना पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हनुमना पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-J)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/471.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2143/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा देव किसान बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बढ़ैया पंजीयन क्रमांक 1199, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए देव किसान बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बढ़ैया पंजीयन क्रमांक 1199, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-K)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/472.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2291/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा हितकारिणी बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खटखरी पंजीयन क्रमांक 1166, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए हितकारिणी बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खटखरी पंजीयन क्रमांक 1166, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-L)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/473.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2150/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा सत्यम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पेपखरा पंजीयन क्रमांक 1143, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए सत्यम बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पेपखरा पंजीयन क्रमांक 1143, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-M)

रीवा, दिनांक 17 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/474.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1183/2014, दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., हनुमना पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 07 मार्च, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., हनुमना पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 07 मार्च, 1991 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(322-N)

रीवा, दिनांक 18 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/496.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2149/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा भाग्योदय बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गहरी पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं,

का प्रयोग करते हुए किसान बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गहरी पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(322-O)

रीवा, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/615.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/245/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा साख सब्जी उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोलहा पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेच्छित हैं, का प्रयोग करते हुए साख सब्जी उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोलहा पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(304)

रीवा, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/616.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/2153, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा आस्था बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बरांव पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेच्छित हैं, का प्रयोग करते हुए आस्था बीज उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बरांव पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(304-A)

रीवा, दिनांक 31 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/617.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/220, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा कृष्णा साग सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा पंजीयन क्रमांक 1231, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्तर शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेच्छित हैं, का प्रयोग करते हुए कृष्णा साग सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा पंजीयन क्रमांक 1231, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक।

(304-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 29 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/385.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2012/2136, धार, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी, तह. सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 549, दिनांक 17 जून, 1983 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बबलू चौहान, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। कार्यालयीन संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/2013/1138, दिनांक 14 अगस्त, 2013 से श्री एस. बी. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री एस. बी. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल कि अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी, तह. सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(323)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./422, उमरिया, दिनांक 17 अगस्त, 2011 एवं 163, दिनांक 04 मार्च, 2013 द्वारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., वार्ड नं. 6 उमरिया, जिला उमरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 11 जून, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाड़ी समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(324)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./614, उमरिया, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खलौंध, जिला उमरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 28 सितम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाड़ी समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(324-A)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./724, उमरिया, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं 169, दिनांक 04 मार्च, 2013 द्वारा शारदा महिला सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., उमरिया, जिला उमरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 72, दिनांक 06 अगस्त, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाड़ी समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(324-B)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./445, उमरिया, दिनांक 06 सितम्बर, 2012 एवं 166, दिनांक 04 मार्च, 2013 द्वारा महिला बहु-सहकारी समिति मर्या., उमरिया, जिला उमरिया जिसका पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 04 सितम्बर, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कारपोरेट बाड़ी समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. एल. प्रजापति,
सहायक पंजीयक।

(324-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ जिला सह. मुद्रणालय मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 06 जनवरी, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213-15, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(325)

दुध उत्पादक सह. सं. मर्या., उमरकोट, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/549, दिनांक 10 फरवरी, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(325-A)

राधा महिला ग्रह उद्योग सह. मर्या., किशनपुरी, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/278, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(325-B)

श्री आई जी साख सह. मर्या., पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 279, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/279, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एल. बडोले,
उप-पंजीयक।

(325-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/595.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 295, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/946, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक।

(326)

कार्यालय परिसमापक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विकास भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/84.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. बी. पी./एच.ओ./62, दिनांक 21 मार्च, 1961 है, को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र./भूविअ/1/परि./2016/133, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (बल्म) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. एस. नरगेश,
परिसमापक।

(327)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला सतना

सतना, दिनांक 07 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/637.—सेवा सहकारी समिति मर्या., वेल्दरा पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 23 मार्च, 1967 है संस्था की अकार्यशीलता के कारण परिसमापन में लाया गया एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 264, दिनांक 05 फरवरी, 2004 से श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्ति किया गया तथा इसके पश्चात् संशोधित आदेश क्रमांक 1126, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 से समिति प्रबंधक द्वारा शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., मैहर को परिसमापक नियुक्ति किया गया एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मैहर भ्रमण के दौरान ग्राम वेल्दरा के कृषकों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की मांग की गई, निर्देशानुसार संस्था के सदस्यों की आम-सभा में पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया एवं बैठक में कार्ययोजना एवं कार्यवाहक संचालक मण्डल के गठन की अनुंसासा परिसमापक द्वारा की गयी है।

अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1126, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या., वेल्दरा पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 23 मार्च, 1967 है को पुनर्जीवित करता हूँ।

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ:—

क्रमांक	नामांकित सदस्य (निवासी ग्राम का नाम)	पद
1	2	3
1.	श्री मंगल दीन सिंह ग्राम वेल्दरा	अध्यक्ष
2.	श्री नथू सिंह, ग्राम वेल्दरा	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती श्याम वार्ड सिंह, ग्राम वेल्दरा	सदस्य
4.	श्रीमती गुलाब कली कुशवाहा, ग्राम मनटोलवा	सदस्य
5.	श्रीमती प्रभा कुशवाहा, ग्राम मनटोलवा	सदस्य

1	2	3
6.	श्री राम पाल गोड ग्राम मनटोलवा	सदस्य
7.	श्री कन्ठेदी सिंह ग्राम वेल्दरा	सदस्य
8.	श्री बद्री पटेल, ग्राम वेल्दरा	सदस्य
9.	श्री रामहित पटेल, ग्राम वेल्दरा	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 07 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(329)

आर. पी. पाल,
उप-आयुक्त, सहकारिता.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./13/987, झाबुआ, दिनांक 04 नवम्बर, 2003 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निर्मांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिमा महिला गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., झाबुआ	987/04-11-2003	567/02-12-2013

अतः मैं, चन्दा परमार, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के सम्बन्ध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्था के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(328)

चन्दा परमार,
परिसमापक व सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016-वैशाख 23, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के गुना, रायसेन जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील गुना (गुना), रायसेन (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, उमरिया, बड़वानी, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, उमरिया, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला सिवनी में खरीफ फसल तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झावुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 13 जनवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का भाव (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली .. 2. ईसागढ़ .. 3. अशोकनगर .. 4. चन्द्रेरी .. 5. शाढौरा ..					
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 1.0 2. राघोगढ़ .. 3. बमोरी .. 4. आरोन .. 5. चाचौड़ा .. 6. कुम्भराज ..					
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी .. 2. पृथ्वीपुर .. 3. जतारा .. 4. टीकमगढ़ .. 5. बल्देवगढ़ .. 6. पलेरा .. 7. ओरछा ..					
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर .. 2. गौरीहार .. 3. नौगांव .. 4. छतरपुर .. 5. राजनगर .. 6. बिजावर .. 7. बड़ामलहरा .. 8. बकस्वाहा ..					
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ .. 2. पन्ना .. 3. गुन्नौर .. 4. पवई .. 5. शाहनगर ..					
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना .. 2. खुरई .. 3. बण्डा .. 4. सागर .. 5. रेहली .. 6. देवरी .. 7. गढ़कोटा .. 8. राहतगढ़ .. 9. केसली .. 10. मालथोन .. 11. शाहगढ़ ..					

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दुखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, रामतिल, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरानैकिन				
जिला सिंगरैली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरैली				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुधड़का 9. संजीत 10. कथामपुर				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
*जिला आगर :	मिलीमीटर		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बडोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीगढ़पुरः	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, गना अधिक, चना, कपास, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुवर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेंगांव	..				
4. खरगोन	..				
5. गोगांव	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना。 (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुखानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई। (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बुखानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाइ	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर अधिक。 (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मटर, लाख, तिबड़ा अधिक. चना, मूंग कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	0.6				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमांज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबांद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) तुअर, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवडा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— *जिला अशोकनगर, आगर, राजगढ़ व बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 जनवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगाँव, लहार, मिहोना, रोन (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेंवढा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कैलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), गुना, राधोगढ़, आरोन, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगवां, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा, (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, खुरई, राहतगढ़ (सागर), मझगांव, बिरसिंहपुर (सतना), हुजूर, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), जैसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू (शहडोल), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा, मल्हारगढ़ (मंदसौर), जावद, नीमच, मनासा (नीमच), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सीहोर, नसरुल्लागंज (सीहोर), गैरतगंज, गोहरगंज, बरेली, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), पाटन, जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), निवास, बिछिया, मण्डला, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील वल्दवेगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर, बक्स्वाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बंडा, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, रामपुरखेलान, नागौद (सतना), त्योंथर, मऊगंज, हनुमना, गुढ़ (रीवा), सोहागपुर, ब्लौहारी, जैतपुर (शहडोल), गोपदबनास, सिंहावल, मंझोली (सीधी), उज्जैन (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), रायसेन, बेगमगंज, सिलवानी (रायसेन), सीहोरा, मझोली (जबलपुर), नैनपुर, नारायणगंज (मंडला), बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील पवई, शाहनगर (पन्ना), उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), सिरमोर (रीवा), कुसमी (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, बड़वानी, जबलपुर व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**—जिला बड़वानी में फसल गेहूँ व श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, खरगौन, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. **फसल स्थिति.**— ..

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल चना व सिवनी में तुअर व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झावुआ, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 20 जनवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1. सासाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधारी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अच्छाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन {	3.6 8.0 6.0 11.7 3.6 9.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड्ड, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. कैरेरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	3.0 6.0 6.0 4.7 4.3 3.0 2.0 2.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	5.5				
2. राघोगढ़	6.0				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	8.0				
5. चाचौड़ा	12.0				
6. कुम्भराज	8.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	8.0				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	7.0				
4. टीकमगढ़	15.0				
5. बल्देवगढ़	23.0				
6. पलेरा	2.0				
7. ओरछा	3.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	5.0				
2. गौरीहार	9.0				
3. नौगांव	3.80				
4. छतरपुर	21.20				
5. राजनगर	16.40				
6. बिजावर	17.0				
7. बड़ामलहरा	16.80				
8. बकस्वाहा	33.80				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	7.2				
2. पन्ना	23.0				
3. गुन्नौर	24.0				
4. पवई	38.0				
5. शाहनगर	35.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	5.2				
2. खुरई	3.3				
3. बण्डा	19.0				
4. सागर	21.2				
5. रेहली	25.2				
6. देवरी	18.0				
7. गढ़कोटा	30.2				
8. राहतगढ़	10.1				
9. केसली	29.0				
10. मालथोन	25.0				
11. शाहगढ़	22.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बिट्यागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	29.6				
2. मझगावां	15.0				
3. रामपुर-बधेलान	31.0				
4. नागौद	32.5				
5. उचेहरा	41.0				
6. अमरपाटन	45.0				
7. रामनगर	38.0				
8. मैहर	50.0				
9. बिरसिंहपुर	10.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	20.0				
2. सिरमौर	36.4				
3. मऊगंज	23.4				
4. हनुमना	19.0				
5. हुजूर	17.3				
6. गुढ़	32.0				
7. रायपुरकुलियान	15.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहगपुर	21.2				
2. ब्यौहारी	23.0				
3. जैसिहनगर	7.0				
4. बुढार	14.4				
5. जैतपुर	22.0				
6. गोहपारु	10.0				
*जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	4.8				
2. पाली	..				
3. मानपुर	7.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवानास	33.2				
2. सिंहावल	28.4				
3. मझौली	20.8				
4. कुसमी	35.0				
5. चुरहट	14.2				
6. रामपुरनैकिन	10.7				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	3.2				
3. मल्हारगढ़	7.0				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्थड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	2.0				
2. नीमच	1.0				
3. मनासा	4.0				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	2.0				
2. महिदपुर	14.0				
3. तराना	12.0				
4. घटिया	13.0				
5. उज्जैन	26.0				
6. बड़नगर	10.0				
7. नागदा	5.0				
*जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	23.4				
3. शुजालपुर	2.0				
4. कालापीपल	14.0				
5. गुलाना	5.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, गन्ना अधिक, चना, कपास, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचौपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. उरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारासपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	16.0				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	9.0				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूं, तिल, लाख, तुअर अधिक. चना, मूँग कम. मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	19.0				
2. गैरतगंज	10.8				
3. बेगमगंज	22.3				
4. गौहरगंज	15.0				
5. बेरेली	15.0				
6. सिलवानी	29.9				
7. बाड़ी	5.0				
8. उदयपुरा	12.0				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूं, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूं, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	29.6				
2. पाटन	13.1				
3. जबलपुर	11.4				
4. मझौली	28.0				
5. कुण्डम	07.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूं, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबांद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेंगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	11.0 13.7 21.5 16.0 10.5 18.9				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) तुअर, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	16.9 22.8 14.1				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. चांद 12. बोलखेड़ा				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला अशोकनगर, आगर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के रायसेन जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला रायसेन (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, दमोह, बड़वानी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**—जिला ग्वालियर, दमोह, रीवा, बड़वानी, नरसिंहपुर व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. **फसल स्थिति.**— ..

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल चना व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है। जिला धार में रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है।

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगफली, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चद्देरी 5. शाढौरा					
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, सरसों, धनिया, मसूर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राधोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज					
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा					
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौनांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा					
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुनौर 4. पवई 5. शाहनगर					
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़					

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुलाई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दुखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्वलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, रामतिल, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरानैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्थड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कथामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झावुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झावुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोड़. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कटटीबाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक, चना, कपास, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्सी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगांव	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम.- (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खक्कनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोज	..				
3. उरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैरासिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, लाख, तिवड़ा अधिक. चना, मूंग कम. मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	0.6				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक, गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. धुघरी 6. नारायणगंज				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांदुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. चांद 11. हरई 12. बोलखेड़ा				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, अलसी, राई-सरसों, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला मुरैना, खरगौन, भोपाल, बैतूल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, दमोह, बड़वानी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**—जिला ग्वालियर, दमोह, रीवा, बड़वानी, नरसिंहपुर, सिवनी व झाबुआ में कहीं-कहीं जायद फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. **फसल स्थिति.**— ..

5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल चना व सिवनी में तुअर व धार में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3 फरवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगफली, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली .. 2. इसागढ़ .. 3. अशोकनगर .. 4. चन्द्रेरी .. 5. शाढौरा ..					
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना .. 2. राधोगढ़ .. 3. बमोरी .. 4. आरोन .. 5. चाचौड़ा .. 6. कुम्भराज ..					
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी .. 2. पृथ्वीपुर .. 3. जतारा .. 4. टीकमगढ़ .. 5. बल्देवगढ़ .. 6. पलेरा .. 7. ओरछा ..					
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर .. 2. गौरीहार .. 3. नौगांव .. 4. छतरपुर .. 5. राजनगर .. 6. बिजावर .. 7. बड़ामलहरा .. 8. बकस्वाहा ..					
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ .. 2. पन्ना .. 3. गुनौर .. 4. पवई .. 5. शाहनगर ..					
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना .. 2. खुरई .. 3. बण्डा .. 4. सागर .. 5. रेहली .. 6. देवरी .. 7. गढ़ाकोटा .. 8. राहतगढ़ .. 9. केसली .. 10. मालथोन .. 11. शाहगढ़ ..					

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्जुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरानैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरोद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
*जिला आगर :	मिलीमीटर		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना, कपास, गन्ना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावा	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरासिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दुखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांदुणा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. चांद	..				
12. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरधाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला आगर, खरगौन, खण्डवा, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।
2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, दमोह, बड़वानी व सिवनी में जायद फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
3. **बोनी.**—जिला ग्वालियर, दमोह, रीवा, सिवनी व झाबुआ में जायद फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
4. **फसल स्थिति.**— ..
5. **कटाई.**—जिला हरदा में फसल चना व सिवनी में तुअर व धार में गेहूँ, चना, रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, रायसेन, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, ससाहंत बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1.ससाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अच्छाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई— सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगफली, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दत्तिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाथाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलोरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवड़ी	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दुखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. विरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडेल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुम्ढुका 9. संजीत 10. क्रायमपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	..				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	..				
*जिला आगर :	मिलीमीटर		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. च. शे. आ. नगर	..				
6. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों गेहूँ चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ गन्ना अधिक, चना, कपास, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गन्ना अधिक गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई। (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्ट	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, लाख (तिवड़ा), तुअर अधिक. चना, मूंग कम. मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मटर, मसूर अधिक. गेहूँ, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़वारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांदुणा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. चांद	..				
12. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला शहडोल, आगर, खरगौन, खण्डवा, राजगढ़, बैतूल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2016

1. मौसम एवं वर्षा।—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के टीकमगढ़, छतरपुर, अनूपपुर व मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), जैतहरी, कोतमा (अनूपपुर), विछिया (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई।—जिला ग्वालियर, बड़वानी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी।—जिला ग्वालियर, रीवा, बड़वानी व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति।—

5. कटाई।—जिला होशंगाबाद में फसल चना व सिवनी में तुअर व धार में गेहूँ, चना व खरगौन व सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई।—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति।—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा।—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज।—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक।—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 2016

जिला/तहसीलें	1. सासाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगफली, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला उत्तराखण्डः	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. मुँगावली	..				7. .. 8. ..
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	2.0				
4. टीकमगढ़	2.0				
5. बल्देवगढ़	2.5				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	0.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	3.0				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	10.0				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	2.0				
7. बड़ामलहरा	1.8				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. विरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यांथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. गयपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.2				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	3.0				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरैली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुथड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रत्लाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला आगर : 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछु	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
*जिला अलीरजपुर:	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ व चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, गन्ना अधिक, चना, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(बॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम।- (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई। (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई।	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. उरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर, अधिक। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बैरासिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सीहोर	..				
2. आष्ट	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, लाख अधिक. चना, मूंग कम. मटर, धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मटर, मसूर अधिक. गेहूँ, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. .. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक, गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेंगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	0.8				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुणा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. चांद	..				
11. हरई	..				
12. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, अलसी, राई-सरसों, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरधाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, शहडोल, आगर, अलीराजपुर, खण्डवा, बैतूल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।
2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर व बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
3. **बोनी.**—जिला बड़वानी में फसल गेहूँ व ग्वालियर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
4. **फसल स्थिति.**— ..
5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर व होशंगाबाद में फसल चना व धार में गेहूँ, चना व सिवनी में तुअर, मसूर व खरगौन में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाकुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सासाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016

जिला/तहसीले	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाइ के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ जौ, चना, राई- सरसों अलसी, धनिया, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूंग, तुअर, मूँगफली, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुशा नगर	..				
2. गौरीहर	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, घ्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, घ्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. हटा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. त्यैंथर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. सोहागपुर	..				7. .. 8. ..
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई- सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरैली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुश्छड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, अधिक गेहूँ, राई-सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रत्लाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिप्लौदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला आगर : 1. बड़ौदा 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. च. शे. आ. नगर	..				
6. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्की	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अब्देकल्लसगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, लाख अधिक. चना, मूंग कम. धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बेरली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मटर, मसूर अधिक. गेहूँ, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाठन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेरांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. धुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांदुणा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. चांद	..				
11. हरई	..				
12. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर एवं मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरधाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, शहडोल, आगर, खण्डवा, बैतूल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.